

B- 344

L- 03

I. Polity

### प्रस्तावना (Preamble)

हम भारत के लोग सम्पन्न, समाजवादी, पंचमिरपेक्ष  
लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता, समानता  
बन्धुता

J- न्याय- सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक

L- स्वतंत्रता- विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना

E- समानता- अवसर, प्रतिष्ठा

F- बन्धुता- व्यापकता, एकता, अखण्डता

### समाजवाद

|                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आर्थिक<br>समानता | न्याय विभाजित<br>(i) सभी संसाधनों<br>का विभाजन<br>(ii) मकान, जमीन,<br>फैक्ट्री<br>(iii) गाँव, भेड़, बकरी<br>(iv) शिक्षा, स्वास्थ्य | (i) मूलभूत<br>संसाधनों का<br>आवंटन<br>(ii) कमरा<br>(iii) शिक्षा<br>(iv) स्वास्थ्य<br>(v) शेष संसाधनों<br>का आवंटन<br>प्रतिस्पर्धा के<br>आधार पर होगा | पूँजीवाद<br>(i) संसाधनों<br>का विभाजन<br>क्षमता अनुसार<br>(ii) प्रतिस्पर्धा<br>सक्षम कुम्हार<br>।<br>शहरवाहन |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

संविधान सामाजिक न्याय का दस्तावेज

(i) भारतीय संविधान केवल वैधानिक दस्तावेज नहीं है अपितु सामाजिक न्याय का एक दस्तावेज है इसलिए डॉ अम्बेडकर का एक प्रसिद्ध कथन है कि भारत की स्वतंत्रता हो गई लेकिन सामाजिक, आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना संविधान का मूल उद्देश्य है।

सामाजिक, आर्थिक लोकतंत्र की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय के रूप में उल्लिखित किया गया है। कल्पावकारी राज्य, समाजवाद भी इसी सामाजिक न्याय के पर्याय हैं।

(ii) वर्तमान में इस मुद्दे पर विवाद होता है कि क्या प्रस्तावना में उल्लिखित समाजवाद शब्द तार्थिक है क्योंकि 1991 के बाद भारत में बाजारवादी आर्थिक प्रणाली अपना ली गई।

(iii) बाजारवादी आर्थिक प्रणाली साधन मात्र है जिससे संसाधनों की प्राप्ति हो सके और राज्य आम जनता के कल्पाव हेतु रक्षा वितरण कर सके।

समाजवाद शब्द पर विवाद उठाना प्रासंगिक नहीं है क्योंकि भारतीय संविधान में समाजवाद और सामाजिक न्याय एक-इसरे के पर्याय हैं।



- प्रस्तावना में लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया जिसके कारण निम्नलिखित हैं।

| लोकतंत्र (ब्रिटेन)             | गणतंत्र (USA)               |
|--------------------------------|-----------------------------|
| (i) संसदीय शासन                | सं. रा. अमेरिका             |
| (ii) संसदीय सर्वोच्चता का शासन | (i) मध्यस्थीय               |
| (iii) महाराजा                  | (ii) शक्ति पृथक्करण         |
| (iv) लार्ड सभा                 | (iii) राष्ट्रपति निर्वाचित  |
| जेर-निर्वाचित                  |                             |
|                                | (iv) सभी संस्थाएं निर्वाचित |
|                                | (v) मूल अधिकार              |

- भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा इंग्लैंड की संसदीय सर्वोच्चता के बजाय संसदीय शासन के विचार को लिया गया अतः भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होता है।

- अमेरिका के शक्तिपृथक्करण के विचार को अपना कर भारत ने एक मध्यम मार्ग अपनाया क्योंकि अमेरिका व्यापक सर्वोच्चता के विचार पर आगे बढ़ गया जबकि भारत ने संविधान की सर्वोच्चता के विचार को स्वीकार किया है।

- भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राज्य है लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में निम्नलिखित विसंगतियों अथवा विरोधाभास विद्यमान हैं।

1. राजनैतिक दलों में आन्तरिक लोकतंत्र का अभाव है।
2. वसी के साथ राजनीतिक अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण बहुत बड़ी चुनौती है।
3. राजनीतिक दल आज भी जो चंदा आम जनता से प्राप्त करते हैं उसका विवरण नहीं देते।

